न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक, संख्या–२, फतेहपुर ।

सत्र परीक्षण संख्या– ३२८ सन् २०१७

राज्य प्रति रघुराज सिंह आदि ।

०८.०३.२०१९

पत्रावली आदेशार्थ नियत है ।

वादी/चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष की ओर से प्रस्तुत १७अ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा ३१९ दं०प्र०सं० पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को सुना जा चुका है ।

निस्तारण प्रा०पत्र १७अ

प्रार्थना पत्र १७अ वादी/चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष की ओर से अन्तर्गत धारा ३१९ दं०प्र०सं० इस कथन का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें का वादी/मजरुब है । प्रार्थी ने अभियुक्तगण राधा, प्रेमा देवी के नाम भी नामजद एफ०आई०आर० किया गया । प्रार्थी व उसके परिवार को ऊपर आरोप पत्रित अभियुक्त रघुराज, चेतराम, नैन सिंह के साथ लाठी डण्डों से मार पीट किया था । प्रार्थी व उसके परिवार के पॉच व्यक्ति गम्भीर रुप से घायल हुए थे किन्तु पुलिस ने अभियुक्ता राधा व प्रेमा देवी को दौरान विवेचना आरोप पत्र से निकाल दिया था जब कि प्रार्थी ने अपने न्यायालय में दिये गये बयान में भी सभी अभियुक्तगणों का नाम बताया है । उक्त मामले की अभियुक्ता राधा देवी पुत्री रघुराज, प्रेमा देवी पत्नी रघुराज को धारा ३१९ दं०प्र०सं० के तहत विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के विरुद्ध विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक या लिखित आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है ।

विद्वान अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौज०) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से तर्क दिया गया है कि वादी/ चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष द्वारा अपनी तहरीर में कथन किया है कि दिनांक २९.०४.२०१६ को समय लगभग ८बजे रात वह अपने घर पर आंगन में अपने परिवार के साथ में बैठकर टी.बी. देख रहे थे कि तभी उसके चाचा रघुराज सिंह, उनके लडके चेतराम व नैन सिंह व बेटी राधा व पत्नी प्रेमा देवी तथा दो लोग अन्य जो पीछे थे जिन्हें सामने आने पर पहचान सकता है । अचानक लाठी, डण्डा, कुल्हाडी, ईट, पत्थर आदि लिये घर में घुस आये । घर में घुसते ही मॉ बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए कहने लगे कि उनका समरसेबिल का पानी पूरे रास्ते में फैलेगा, वह दादागीरी करके या किसी भी तरीके से बन्द नहीं करा सकते । आज जरुर उन्हें जान से मार के गाड देगें । इन सभी लोगों ने एक राय होकर उसके व उसके परिवार के ऊपर लाठी, डण्डा, ईंट, पत्थर व कुल्हाडी

से हमला कर दिया । उसके चाचा जोर–जोर से चिल्ला रहे थे कि मारो सालों को कोई बचने न पाये । हमले में उसके पिता जगत सिंह, भाई राघवेन्द्र, संतराम व उसे तथा उसकी मॉ रामदेवी व उसके भाई संतराम की पत्नी रानी को गम्भीर चोटें आयी हैं । इसी प्रकार से वादी/चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष द्वारा अपने बयान पी०डब्लू०–१ की मुख्य परीक्षा में उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए कहा गया है कि उक्त घटना में आरोपित अभियुक्तगण के अतिरिक्त उसके चाचा रघुराज सिंह की बेटी राधा व उनकी पत्नी प्रेमा देवी भी सम्मिलित रही हैं जिनके द्वारा भी मार पीट की गयी है । उक्त दोनों मुल्जिमानों के विरुद्ध प्रस्तुत तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है, परन्तु दौरान विवेचना विवेचक ने सही ढंग से विवेचना नहीं किया और केवल अभियुक्तगण रघुराज सिंह, चेतराम व नैन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है शेष अभियुक्तगण का नाम अपराध से उन्मोचित कर दिया है । ऐसी स्थित में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना निकाले गये उपरोक्त अभियुक्तगण राधा देवी व प्रेमा देवी को तलब किया जाना न्यायसंगत होगा ।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण, (फौज०) एवं अभियुक्त सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि राधा व प्रेमा देवी का नाम अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता के सिखाने पर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–१ द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है जिसे साक्षी ने जानबूझकर सिखलाने से कहा गया है और वह इन्प्रूवमेन्ट की श्रेणी में आती है । गवाहों ने अपने बयान अन्तर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० में उक्त राधा व प्रेमा देवी का नाम नहीं लिया गया है । इस प्रकार से किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और उसे धारा ३१९ दं०प्र०सं० के तहत तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि वादी मुकदमा के चाचा रघुराज सिंह समरसेबुल का पानी फैलाने के विवाद को लेकर चेतराम, नैन सिंह, बेटी राधा व पत्नी प्रेमा देवी के साथ लाठी डण्डा, ईट, पत्थर लेकर जान से मारने की धमकी दिया । उक्त हमले में उसके पिता जगत सिंह, मामा रामदेवी व भाई संतराम व राघवेन्द्र व संतराम की पत्नी रानी देवी को गम्भीर चोटें आयी थी तथा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–१ वादी/चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष, द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए कहा गया है कि उक्त घटना में आरोपित अभियुक्तगण के अतिरिक्त उसके चाचा रघुराज सिंह की बेटी राधा व उनकी पत्नी प्रेमा देवी भी सम्मिलित रही हैं जिनके द्वारा भी मार पीट की गयी है । इस प्रकार से उक्त दोनों मुल्जिमानों के विरुद्ध प्रस्तुत तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है, परन्तु दौरान विवेचना विवेचक ने सही ढंग से विवेचना नहीं किया और केवल अभियुक्तगण रघुराज सिंह, चेतराम व नैन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है शेष अभियुक्तगण का नाम अपराध से उन्मोचित कर दिया है । ऐसी स्थिति में राधा व प्रेमा देवी को धारा ३१९

दं०प्र०सं० के तहत समन किये जाने का पर्याप्त आधार है और अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उक्त अभियुक्तगण राधा व प्रेमा देवी के विरुद्ध मौजूद है क्योंकि अपराध संयुक्त रुप से पिता/पति रघुराज सिंह, चेतराम व नैन सिंह के द्वारा सामान्य आशय से किया गया है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–१४९/२०१६, अन्तर्गत धारा–१४७,१४८, ४५२, ३२३, ५०४, ५०६, ३३६, ३०८ भा.दं.सं., थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर, में अभियुक्तगण रघुराज सिंह, चेतराम, नैन सिंह, राधा व प्रेमा देवी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों के अनुसार दिनांक २९.०४.२०१६ को समय लगभग ८बजे रात वह अपने घर पर आंगन में अपने परिवार के साथ में बैठकर टी.बी. देख रहे थे कि तभी उसके चाचा रघुराज सिंह, उनके लडके चेतराम व नैन सिंह व बेटी राधा व पत्नी प्रेमा देवी तथा दो लोग अन्य जो पीछे थे जिन्हें सामने आने पर पहचान सकता है । अचानक लाठी, डण्डा, कुल्हाडी, ईट, पत्थर आदि लिये घर में घुस आये । घर में घुसते ही मॉ बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए कहने लगे कि उनका समरसेविल का पानी पूरे रास्ते में फैलेगा, वह दादागीरी करके या किसी भी तरीके से बन्द नहीं करा सकते । आज जरुर उन्हें जान से मार के गाड देगें । इन सभी लोगों ने एक राय होकर उसके व उसके परिवार के ऊपर लाठी, डण्डा, ईंट, पत्थर व कुल्हाडी से हमला कर दिया । उसके चाचा जोर–जोर से चिल्ला रहे थे कि मारो सालों को कोई बचने न पाये । हमले में उसके पिता जगत सिंह, भाई राघवेन्द्र, संतराम व उसे तथा उसकी मॉ रामदेवी व उसके भाई संतराम की पत्नी रानी को गम्भीर चोटें आयी हैं ।

थाना जहानाबाद के विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण राधा व प्रेमा देवी को अपराध में संलिप्त न पाते हुए आरोप पत्र केवल रघुराज सिंह, चेतराम व नैन सिंह के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा अपराध संख्या–१४९/२०१६, अन्तर्गत धारा–१४७,१४८, ४५२, ३२३, ५०४, ५०६, ३३६, ३०८ भा.दं.सं., थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर, में दाखिल किया है ।

गवाह पी०डब्लू०–1 मस्तराम उर्फ मनीष वादी/चोटहिल, ने अपनी मौखिक साक्ष्य में अभिसाक्ष्य किया है कि उक्त घटना में आरोपित अभियुक्तगण के अतिरिक्त उसके चाचा रघुराज सिंह की बेटी राधा व उनकी पत्नी प्रेमा देवी भी सम्मिलित रही हैं जिनके द्वारा भी मार पीट की गयी है ।इस प्रकार उक्त साक्षी ने कथित घटना में उक्त दोनों अभियुक्तागण को सम्मिलित होने का कथन किया है । इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के साथ राधा व प्रेमा देवी भी सामान्य आशय के उद्देश्य में अपराध का किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है ।

वास्तविक अपराधी को दण्डित करके उसके प्रति न्याय करना न्यायालय का कर्तब्य है जहॉ अन्वेषण अभिकरण किसी कारण से वास्तविक अपराधियों

में से एक को अभियुक्त के रुप में अभियोजित नहीं करता है, तो वहॉ न्यायालय उस अभियुक्त को विचारण का सामाना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है ।

धारा– ३१९ दं०प्र०सं० इस प्रकार है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – जहॉ किसी अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है । जहॉ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहॉ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार किया या समन किया जा सकता है । कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जॉच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है । जहॉ न्यायालय किसी व्यक्ति के (१) के अधीन कार्यवाही करता है वहॉ,(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा, (ख) खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जॉच या विचारण प्रारम्भ किया गया था । उक्त धारा की उपधारा (१) से ही स्पष्ट है कि जो व्यक्ति मामले में अभियुक्त न हो उसके बारे में अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यदि यह प्रकट होता कि उस व्यक्ति ने भी कोई अपराध किया है और उसका भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचारण किया जाना चाहिए तो उसे समन किया जा सकता है । इसमें कुछ नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जो व्यक्ति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवार में नामित है किन्तु उसके पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है उसके कार्यवाही नहीं की जा सकती, भले ही जॉच या अपराध के विचारण में न्यायालय पाए कि उसने अपराध किया है, जिसके लिए उसका विचारण अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाना चाहिए । इस विषय में निम्नलिखित निर्णय दशर्नीय हैः **जोगिन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य (१९७९)१ सुको के ३४५ तथा रघुबंश बनाम बिहार राज्य १९६७ ११६७,** जब वह एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि पुलिस द्वारा विचारार्थ भेजे गए अभियुक्तों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति अपराध में शामिल था तो वह उसे समन कर सकता है । इस स्पष्ट विधिक स्थिति को देखते हुए हमारा निष्कर्ष कि यदि व्यक्ति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवार में नामित है कि उसने अमुक अपराध किया है किन्तु पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप–पत्र नहीं दिया तो न्यायालय धारा ३१९ दं०प्र०सं०, के अनुसार उस धारा की अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर अभियुक्त कगे रुप में समन कर सकता है । इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में विचार व्यक्त किया गया है कि इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, नैत्यिक रुप से नहीं । किन्तु यह स्पष्ट है कि

न्यायालय को विचारण या जॉच के दौरान संगृहीत साक्ष्य से यह प्रकट होने पर कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है जिसके लिए उसका विचारण अन्य अभियुक्तों के साथ किया जाना चाहिए तो वह उसे भी अभियुक्त के रुप में समन कर सकता है । यह दृष्टिकोण इन निर्णयों से भी समर्थित हैः **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (१९९२)१ सुको के ३३५ (१९९१ उमनिसा ३५), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रविशंकर श्रीवास्तव (२००६) ७ सुको के १८८, आर.कल्याणी बनाम जनक सी.मेहता, (२००९) १ सुको के ५१६, २००९ आइंरि सुकोवी २४४९**

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य विधि व्यवस्था में यह निर्णीत किया है जिसमें **रघुबंश दुबे बनाम बिहार राज्य ए० आईआर० १९६७ एस०सी० ११६७,** में अवधारित किया है कि " जब एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया हो, तो वह अपराध का संज्ञान है, न कि अपराधी का और जब एक बार वह अपराध का संज्ञान लेता है, तो यह निष्कर्ष निकालना उसका कर्तब्य है कि वास्तव में अपराधी कौन है और जब एक बार वह इस निष्कर्ष पर आता है कि पुलिस द्वारा भेजे गये व्यक्तियों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना उसका कर्तव्य है । अतिरिक्त अभियुक्त को समन करना किसी अपराध का संज्ञान लेकर उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी कार्यवाही का एक अंग होता है । "

इस प्रकार, जॉच के प्रक्रम पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के प्रावधानों की प्रयोज्यता को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है । जहॉ तक जांच अनुक्रम के दौरान उसकी प्रयोज्यता का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में वह इसमें उपरोल्लिखित निर्दिष्ट रुप में उस व्यक्ति को अभियुक्त के रुप में सम्मिलित करने तक सीमित है, जिसके नाम का उल्लेख आरोप–पत्र के कॉलम में किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति तक सीमित है, जो सहअपराधी हो सकता था ।

प्रश्न संख्या (iii)– क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ (१) में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और जिसमें अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य भी शामिल है या शब्द "साक्ष्य" विचारण के दौरानन अभिलिखित साक्ष्य तक ही सीमित है ?

सिविल मामले के सम्बन्ध में, इस न्यायालय में **अमीर ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० बनाम शापूरजी डाटा प्रोसोसिंग लि० ए० आई० आर० २००४ एस०सी० ३५५** के वाद में अवधारित किया था कि साक्षी की परीक्षा मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा भी शामिल होगी । **ओंकार नामदेव जाधव एवं अन्य बनाम द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बुल्दाना एवं एक अन्य ए० आई० आर० १९९७ एस० सी० ३३१** एवं **रामस्वरुप एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य ए० आई० आर० २००४ एम०सी० २९४३** के वाद में इस न्यायालय ने अवधारित किया था कि

अन्वेषण के दौरान दं० प्र०सं० की धारा १६१ के अधीन अभिलिखित कथन साक्ष्य नहीं होते हैं । ऐसे कथनों का प्रयोग विचारण में केवल परस्पर विरोधी या लोपों के लिए तब किया जा सकता है, जब साक्षी की परीक्षा न्यायालय में की जाती है ।

पोड्डा नारायण एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए० आई० आर० १९७५ एस०सी० १२५२, सतपाल बनाम दिल्ली प्रशाससन ए० आई० आर० १९७६ एस० सी० २९४ एवं राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य, ए० आई० आर०१९८६ एस० सी० २५० ।

लोकराम बनाम निहाल सिंह हएवं एक अन्य, ए० आई० आर० २००६ एस० सी० १८९२ में अवधारित किया गया था कि वह सुव्यक्त है कि उस व्यक्ति को, जिसे यद्यपि प्रारम्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रुप में नामित किया गया था, फिर भी उसे आरोप पत्रित नहीं किया गया था, भी विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त के रुप में सम्मिलित किया जा सकता है । विचारण न्यायालय केवल स्वयं के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य के ही आधार पर अभियुक्त के रुप में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है, न कि आरोप–पत्र या अभियोग दैनन्दिनी पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप पत्र या अभियोग दैनन्दिनी में अन्तर्विष्ट ऐसी सामग्री साक्ष्य गठित नहीं करते ।

गुडिया उर्फ तबस्सुम तौकीर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ए० आई० आर० २००८ एस०सी० ९५ के वाद में इस न्यायालय ने अवधारित किया था कि दं०प्र०सं० की धारा ३१९ के अधीन शक्तियों के प्रयोग में,न्यायालय केवल स्वयं के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर ही, न कि आरोप–पत्र या अभियोग दैनिकी पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नये अभियुक्त को सम्मिलित कर सकता है

इसी प्रकार का समान मत इस न्यायालय द्वारा राजकिशोर प्रसाद (उक्त) के मामले में अंगीकार किया गया है, जिमसें यह अवधारित किया गया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ को लागू करने के क्रम में यह आवश्यक है कि अपराध का दोषी होना प्रतीत होने वाले अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता का प्रश्न केवल जांच या विचारण के अनुक्रम में अभिलिखित साक्ष्य पर ही उत्पन्न होता है ।

लाल सूरज उर्फ सूरज सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य २००९ दण्ड निर्णय संग्रह ५८३ (एस०सी०), के वाद में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह अवधारित किया था कि आरोप विरचित करने वाले न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर ऐसी सभी सामग्री होगी, जिन्हें अभियोजन द्वारा सिद्ध किये जाने की अपेक्षा की जाती थी । तथापि, उस दशा में, जहॉ न्यायालय दं०प्र०सं० की धारा ३१९ के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग न्यायालय के समक्ष लाये गये नये साक्ष्य के आधार पर ही किया जाना है । इस सम्बन्ध

में अति सूक्ष्म, किन्तु स्पष्ट अन्तर निहित है ।

इसी प्रकार के समान मत की पुरावृत्ति इस न्यायालय द्वारा **राजेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०राज्य एवं एक अन्य, २००७ दण्ड निर्णय संग्रह ७९९ (एस०सी०),** के वाद से यह सम्प्रेक्षण करते हुए की गयी है कि न्यायालय को आरोप–पत्र या अभियोग दैनन्दिनी पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरोप–पत्र या अभियोग दैनन्दिनी में अन्तर्विष्ट ऐसी सामग्री साक्ष्य गठित नहीं करती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ में शब्द "साक्ष्य" न्यायालय में दिये गये साक्षियों के साक्ष्य को अनुध्यात करता है ।

प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य ए० आईआर० १९६३ एसी०सी० १०९४, के वाद में इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की पीठ शब्द "प्रतीत होता है" के अर्थ के प्रश्न से सम्बन्धित थी । न्यायालय ने उसमें अवधारित किया था कि शब्द "प्रतीत होता है" का समुचित अर्थ "आभासित होता है" है । यह सबूत की अपेक्षा सम्भाव्यता की न्यूनतम मात्रा को प्रदान करता है । **राम सिंह एवं अन्य बनाम राम निवास एवं एक अन्य (२००९) १४ एस०सी०सी० २५** के वाद में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ से पुनः इस धारा में आने वाला शब्द "प्रतीत होता है" के महत्व की परीक्षा करने की अपेक्षा की गयी थी । न्यायालय ने उसमें अवधारित किया था कि इस शर्त को परिपूर्ण करने के लिए न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, न्यायालय को असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने वाली आपवादिक परिस्थिति के अस्तित्व के बारे में स्वयं का समाधान करना चाहिए । इसलिए, न्यायालय के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह समाधान करना है कि अभियुक्त की ओर से पेश किया गया साक्ष्य,यदि अखण्डित रहता है, मामले में अभियुक्त के रुप में जोडे जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों की दोषसिद्ध को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

वृन्दावन दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, २००९ दण्ड निर्णय संग्रह ४०९ (एस०सी०), के वाद में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह सम्प्रेक्षण करते हुये इसी प्रकार के समान मत को अंगीकार किया था कि न्यायालय से इस पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ऐसा साक्ष्य समन किये जाने वाले व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा चूंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के अधीन समन जारी करना नये सिरे से विचारण को समाहित करता है और इसमें अनेक साक्षियों की परीक्षा की जा सकेगी और उसकी पुनः परीक्षा से अभियोजन पर प्रतिकूल ढंग से प्रभाव पडेगा तथा यह विचारण को विलम्बित करेगा, इसलिए विचारण न्यायालय को अत्यधिक सावधानी एवं सूक्ष्मता के साथ ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए ।

इसी प्रकार के समान मत की पुनरावृत्ति इस न्यायालय द्वारा **माइकल मचाडो एवं एक अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, २००० दण्ड निर्णय संग्रह ६६९ (एस०सी०),** के वाद में की गयी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के अधीन शक्ति वैवेकिक एवं असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग कभी–कबार ही और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जहॉ मामले की परिस्थितियॉ ऐसी अपेक्षा करें इसका प्रयोग मात्र इसलिये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की यह राय है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को कारित करने के दोषी हो सकेगें। केवल वहीं, जहॉ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य से ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य व्यक्ति के विरुद्ध होता है, ऐसा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि सामान्य एवं सरसरी ढंग में।

अंजू चौधरी बनाम उ०प्र०राज्य एवं एक अन्य २०१३ ए० आईआर० एस०सी० डब्ल्यू० २४५, के वाद में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अवधारित किया है कि उन मामलों में, जहॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३ (२) के अधीन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की जाती है और अन्वेषण कॉलम २ में किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित करता है या भले ही व्यक्ति को किसी भी तरह अभियुक्त के रुप में नामित नहीं करता, वहॉ न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के अधीन निहित अपनी शक्ति के प्रयोग में व्यक्ति को अभियुक्त के रुप में समन कर सकता है और यहॉ तक कि समन करने के उस प्रक्रम पर भी कोई सुनवाई विधि के अधीन अनुध्यात नहीं है।

दिल्ली नगर निगम बनाम रामकिशन रोहतगी एवं अन्य ए० आई० आर० १९८३ एस०सी० ६७, के मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया था कि " यदि अभियोजन किसी प्रक्रम पर ऐसा साक्ष्य पेश करता है, जो न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि जिन्हें अभियुक्त के रुप में अभियोजित नहीं किया गया है या जिनके विरुद्ध कार्यवाही अभिखण्डित कर दी गयी है, उन्होनें भी अपराध कारित किया है, तो न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१९ के अधीन उनके विरुद्ध संज्ञान ले सकता है और वह अन्य अभियुक्तों के साथ उनका विचारण कर सकता है।

अभियुक्त के तर्को से न्यायालय सहमत नहीं है कि अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य समन करने हेतु नहीं है जब कि अभियोजन साक्षी वादी/चोटहिल मस्तराम उर्फ मनीष पी०डब्लू०–१ ने अपने बयानों में अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी के साथ अभियुक्तगण रघुराज, चेतराम व नैन सिंह के अपराध में सामिल होने का अभिसाक्ष्य किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर में इसी प्रकार का तथ्य आया है। इस प्रकार अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी को प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने में अभियुक्तगण रघुराज, चेतराम व नैन सिंह के साथ सम्मिलित रही है।

अभिलेख पर आयी साक्ष्य और माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर व्यक्त की गयी है

ऐसी स्थिति में अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी को धारा अन्तर्गत धारा–१४७,१४८, ४५२, ३२३, ५०४, ५०६, ३३६, ३०८ भा.दं.सं., के अधीन प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है और अभियुक्तगण रघुराज सिंह, चेतराम व नैन सिंह के साथ अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी का विचारण एक साथ किया जावेगा। अतः अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी को धारा ३१९ दं.प्र.सं. के तहत तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण राधा व प्रेमा देवी, को अभियोग अन्तर्गत धारा धारा–१४७,१४८, ४५२, ३२३, ५०४, ५०६, ३३६, ३०८ भा.दं.सं., मुकदमा अपराध संख्या–१४९/२०१६, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर में विचारण हेतु धारा ३१९ दं०प्र०सं० के तहत तलब किया जाता है अभियुक्तागण राधा व प्रेमा देवी के विरुद्ध समन जारी हो।

पत्रावली दिनांक वास्ते हाजिरी पेश हो।

दिनांकः ०८.०३.२०१९

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०, संख्या–२,
फतेहपुर।